


मु० नं० 23/2023

विज्ञापन बनाम गणेश धारा 75 LR Act

23/11/23

पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपर।
वकील वादी ने उपस्थित होकर Not प्रिजिस
पेश किया कि पत्रावली चलाना नहीं चाहते हैं।
अतः वादी का काउट Not प्रिजिस में खारीज
किया जाता है। पत्रावली कुल्लु शुमाट
होकर नम्बर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

पत्रावली चलाना नहीं
चाहते
Not प्रिजिस
Professional
योगेश्वर शर्मा